राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1799/CG/4/2023-E[illegible] दिनांक: 19.06.2023

NOTICE

डॉ. रवि मित्तल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-जशपुर
कार्यालय कलेक्टर, जिला-जशपुर,
छत्तीसगढ़-496331
ई-मेल: jashpur.cg@gov.in

विषय: आवेदक के 45 साल पुरानी भू-अर्जन प्रकरण के तहत स्वीकृत राशि 474282/- रु भुगतान कराने के संबंध में श्री खुल्लन साय, ग्राम-बालुआ बहार (चिटका), पोस्ट-तपकरा, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ का दिनांक 06.03.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री खुल्लन साय से दिनांक 06.03.2023** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री खुल्लन साय,**
   ग्राम-बालुआ बहार (चिटका),
   पोस्ट-तपकरा, जिला-जशपुर,
   छत्तीसगढ़
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।